न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 69/2017

1. बनवारीलाल शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा (राज0) ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, दौसा दिनांकः 10.7.2017
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बनवारीलाल शर्मा मुकदमा नं0 46/2017

उपस्थितः 1.श्री मानसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 10.07.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष की सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा उचित मूल्य दुकानदार बनवारीलाल शर्मा ग्राम पंचायत खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की दिनांक 16.2.2017 को जांच की गई एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष पेश की गई। जिसके आधार पर प्रकरण सं0 46/2017 दर्ज कर डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया व अपीलांट डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 86/09.05.2017 पुलिस थाना नांगल राजावतान में दर्ज कराई गई व डीलर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा समस्त वास्तविक तथ्यों व दस्तावेजात सहित जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परन्तु जिला रसद अधिकारी ने वास्तविक तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर व अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनियमितताओं का आरोप प्रमाणित नहीं होते हुए भी मनमर्जी से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने व 1000/– रूपये प्रतिभूति की राशि जब्त सरकार करने का निर्णय दिनांक 10.7.2017 को पारित कर दिया।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा डीलर की मौके पर जाकर दिनांक 16.02.2017 को जांच की जाकर दिनांक 27.2.2017 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न अनियमितता पाई गईः–

1. वक्त जांच उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गई, जिसे शिकायतकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत व डीलर के पुत्र जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दुकान खोलकर जांच करवाई गई।

2. उचित मूल्य दुकान के बाहर ई–एनएफएसए सूची चस्पा होना नहीं पाया गया और न ही अन्य वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन पाया गया।
3. उपभोक्ताओं को पॉश मशीन की प्रिन्टेड पर्ची नहीं दिया जाना पाया गया।
4. केरोसीन वितरण के समय पॉश मशीन में एनएफएसए उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाकर अंगूठा मिलान नहीं करना बताकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री (गेहूँ) से वंचित रखा जाकर कुल 1455 कि.ग्रा. गेहूँ का दुरूपयोग किया गया।
5. दुकान के स्टॉक एवं पॉश मशीन से वितरण एवं थोक विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति का भौतिक सत्यापन करने पर 273 कि.ग्रा. गेहूँ, 22.45 कि.ग्रा. चीनी व 534 लीटर केरोसीन कम होना पाया गया। इस प्रकार (1455+273) कुल 1728 कि.ग्रा. गेहूँ व 22.45 कि.ग्रा. चीनी व 534 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया गया।

पुनर्बहस में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा जानबूझकर दुकान बन्द नहीं रखी गई है। सरपंच ग्राम पंचायत खवारावजी द्वारा जबरदस्ती दुकान बंद करवाई गई थी। दुकान के बाहर ई–एनएफएसए सूची व अन्य वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन किया हुआ था। किन्तु सरपंच द्वारा मौके पर ताला लगाते हुए सभी सूचनाओं का ब्योरा मिटवा दिया गया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दुकान बन्द किये जाने की स्थिति में मौके पर दिनांक 16.02.2017 एवं 13.04.2017 को प्रार्थी द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया था तो प्रार्थी पॉश मशीन की प्रिन्टेड पर्ची कैसे दे पाता। वितरण करते समय सभी उपभोक्ताओं को पॉश मशीन की प्रिन्टेड पर्ची दी जाती है। जिन उपभोक्ताओं का खाद्य सुरक्षा सूची में नाम नहीं है उनकी सामग्री प्रार्थी द्वारा थोक विक्रेता से प्राप्त नहीं की गई। प्रार्थी की जांच माह 9/2016 के स्टॉक एवं वितरण से की गई है। प्रार्थी को थोक विक्रेता से माह 9/2016 हेतु राशन सामग्री एवं केरोसीन का स्टॉक प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी के मौखिक निर्देशों की पालना में प्रार्थी द्वारा माह 9/2016 में केरोसीन का वितरण विभाग द्वारा प्रमाणित वितरण रजिस्टर के माध्यम से किये जाने की स्थिति में पॉश मशीन द्वारा केरोसीन का वितरण 534 लीटर नहीं दिया गया है। इसी प्रकार 273 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 22.45 कि.ग्रा. चीनी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई है, यह हो सकता है कि भीड़ अधिक होने के कारण राशन कार्ड में इन्द्राज होने से रह गया हो।

जवाब बहस में पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विभागीय आदेशानुसार माह सितम्बर 2016 से केवल पॉश मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात ही राशन सामग्री देने का प्रावधान है। डीलर द्वारा उक्त तथ्य जानकारी में होने के बावजूद भी माह सितम्बर 2016 की राशन सामग्री वितरण रजिस्टर के माध्यम से ही करना डीलर की बदनियती जाहिर होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अतः डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,8,9,11,17सी,18 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब में एनएफएसए उपभोक्ताओं के पॉश मीशन में अंगूठे लगवाकर अंगूठा मिलान नहीं करना बताकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री (गेहूँ) से वंचित रखा जाकर 1455 किग्रा गेहूँ का दुरूपयोग करने एवं दुकान के स्टॉक व पॉश मशीन से वितरण एवं थोक विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति का भौतिक सत्यापन करने पर 273 किग्रा गेहूँ, 22.45 किग्रा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चीनी व 534 लीटर केरोसिन कम होना पाया जाने व वितरित सामग्री का राशन कार्डों में इन्द्राज नहीं होने के सम्बन्ध में सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा की गई अनियमितता को मध्यनजर रखते हुए अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official